न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 1/2013 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री ग्यारसी लाल खण्डेलवाल
   विक्रेता एवं मालिक मैसर्स रामजीलाल ओमप्रकाश खण्डेलवाल खादी समिति रोड दौसा।
2. श्री कोशतव कुमार घोष नोमिनी मैसर्स गोड फ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड C/O रामनिवास श्याम सुन्दर, C/F न्यू मण्डावा हाउस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
3. मैसर्स गोड फ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड C/O रामनिवास श्याम सुन्दर, C/F न्यू मण्डावा हाउस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।

— अभियुक्तगण —

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री जितेन्द्र मुदगल अधिवक्ता अभियुक्तगण उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 21.02.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.9.2012 को समय 05:15 पीएम पर शंकर लाल माली खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ खादी समिति रोड दौसा पर स्थित मैसर्स रामजीलाल ओमप्रकाश खण्डेलवाल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक रैक में करीबन 73 पैकिट पान मसाला (पान विलास) के आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे में मिलावट का शक होने पर इनमे से 20 पैकिट मूल ही जांच हेतु नमूने के लिये खरीदे, जिनकी कीमत 2900 रूपये अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर मालिक व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पान मसाला (पान विलास) के 20 मूल पैकिटो से 5—5 पैकिटो के चार पैकिट (नमूना भाग) बनाये जिन पर लेबल चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.जी.—478 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागो को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार क्रम सं0 1 एवं गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मालिक ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक को देकर रसीद प्राप्त की, अलग से फार्म सं0 5 ए की प्रति क्रम सं0 2 पर अंकित मैसर्स के यहां अलग से जरिये डाक भिजवायी जिनकी प्रति एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग पर मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्र0क0 मुख्यालय द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्र0क0 मुख्यालय द्वारा जमा कराकर फार्म सं0 6 की पुस्त भाग पर रसीद प्राप्त की। दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/12/7111 दिनांक 17.10.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/2173/एक्ट/2012/807 दिनांक 12.10.2012 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (पान विलास) मिसब्राण्ड पाया गया है जो एफएसएसए नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (II) व सपठित नियम 2.2.2.(5) (II) पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग का उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (पान विलास) के लेबल पर **Natural Flavour** का नाम प्रिन्ट नहीं होने से उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (पान विलास) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है, उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (पान विलास) में कोई मिलावट नही पायी गई है। उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (पान विलास) में फलेवरिंग सब्स्टेंस का कोमन नाम व कोमन श्रेणी पाउचों पर प्रिन्ट करा दी गई है। कम्पनी द्वारा नियमानुसार संशोधन कर लिया गया है। अतः प्रकरण ड्रोप फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2173/एक्ट/2012/807 दिनांक 12.10.2012 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (पान विलास) के लेबल पर फ्लेवर का नाम सही अंकित नहीं होने से मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (II) व सपठित नियम 2.2.2.(5) (II) पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग का उल्लंघन है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 व 3 श्री कोश्तव कुमार घोष नोमिनी मैसर्स गोड फ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड C/O रामनिवास श्याम सुन्दर, C/F न्यू मण्डावा हाउस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर द्वारा खाद्य पदार्थ पान मसाला (पान विलास) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से एफएसएसए नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (II) व सपठित नियम 2.2.2.(5) (II) पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 व 3 श्री कोश्तव कुमार घोष नोमिनी मैसर्स गोड फ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड C/O रामनिवास श्याम सुन्दर, C/F न्यू मण्डावा हाउस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर पर 5000/– (अक्षरे पांच हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त सं0 2 व 3 उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 21.2.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.2.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/8300–8304

दिनांक:–28.2.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री ग्यारसी लाल खण्डेलवाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्स रामजीलाल ओमप्रकाश खण्डेलवाल खादी समिति रोड दौसा।
4. श्री कोश्तव कुमार घोष नोमिनी मैसर्स गोड फ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड C/O रामनिवास श्याम सुन्दर, C/F न्यू मण्डावा हाउस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
5. मैसर्स गोड फ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड C/O रामनिवास श्याम सुन्दर, C/F न्यू मण्डावा हाउस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा